में जारी हुए

[illegible] के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 22/12/17 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 29/12/17 को की जावेगी।

पत्रावलि आज प्रार्थना मु.नं. 55/17 के साथ आज पेश हुई। उक्त प्रार्थना के निर्णय दिनांक 24/11/17 के अनुसार बटवारा प्रस्ताव तय करने के लिये एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। साथ ही निर्णय दिनांक 24/11/17 मु.नं. 55/17 धारणाधिकार V/S जगमोहन कॉलोनी के अनुसार प्रतिवादी के पक्ष में नोटिस जारी। पत्रावलि दिनांक 29/12/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

जारी
2082
24.11.17

पत्रावलि आज वकील वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 29/12/17 के पेश हुई। वकील वादी दावा को चलाना नहीं चाहते हैं तथा दावा को Note Press किया है। अतः दावा वादी Note Press के स्वीकृत किया जाता है। पत्रावलि सिटल कुमार बैरवा तरफ से कार्यवाही स्वीकृत रखा हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Notpress
Mohd.
12.17
6-12-17